न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–2 / 2025
GCMS NO:- 2025/74

दायर दिनांक: 21.4.2025
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

कंचनबाई पत्नी शांतीलाल जाति धोबी नि0 नैनवॉ

प्रार्थीया

बनाम

भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीया की ओर से अभिभाषक श्री रमेश कुमार कहार।

निर्णय दिनांक 05.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नैनवॉ द्वितीय में खसरा नम्बर 5822 / 2922 रकबा 0.8090 हैक्टयर स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थीया कंचनबाई पत्नी शांतीलाल हिस्सा पूर्ण जाति धोबी सा0 देह खातेदार दर्ज है।

यह कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र मे बताया कि उपरोक्त कृषि भूमि को पडोसीयों द्वारा कब्जा करने का अंदेशा है क्योंकि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी को अनेक बार प्रार्थना पत्र देकर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने बाबत पेश किया गया परन्तु अप्रार्थी द्वारा कोई भी कार्यवाही ना कर केवल विवाद बता कर सीमाज्ञान मय पुलिस इमदाद हेतु श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय, नैनवॉ से आदेश प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 01.06.2024 को सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र देने से प्रार्थना पत्र का कारण उत्पन्न हुआ। जिससे प्रार्थीया उक्त भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, पूर्व मे हुए सीमाज्ञान की प्रति, शपथ पत्र आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे निहित खसरा नम्बर 5822 / 2922 का सीमाज्ञान पूर्व मे पटवारी हल्का नैनवॉ द्वारा दिनांक 01.06.2024 को किया जा चुका है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम नैनवॉ द्वितीय में खसरा नम्बर 5822 / 2922 रकबा 0.8090 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थीया का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ